न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डीग(राज0)

प्र0सं0 11/2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2024/212)

पीठासीन अधिकारीः-श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

लक्ष्मन पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी ग्राम बरई तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)
2. नानगा पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव नि0 ग्राम बरई तहसील व जिला डीग(राज0)

-अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,</u>

निर्णय

दिनांकः 13.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 4621/0.42, 4622/0.55, 4623/0.28, 4624/0.26, 4625/0.43,वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। हिस्सा 1/8 प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा शेष हिस्सा 1/8 प्रार्थी के खास भाई अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी व उसका भाई वाहिस्सा बरावर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 शुरू से ही हिस्सा 1/4 में वाहिस्सा बरावर खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे है जोकि जमाबन्दी सम्बत 2052 से 2055 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार है लेकिन उक्त जमाबन्दी पश्चात नवीन जमाबन्दी सम्बत 2056 से 2059 के खाता संख्या 179 में गलत तरीके से प्रार्थी के इन्द्राज हिस्सा 1/8 को कलमजन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 को हिस्सा 1/4 का खातेदार दर्ज कर दिया जबकि उक्त जमाबन्दी में भी प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के साथ हिस्सा 1/4 का वाहिस्सा बरावर यानि हिस्सा 1/8, 1/8 के खातेदार दर्ज किये जाने चाहिए थे जिसके पश्चात लगातार जमाबन्दी में प्रार्थी क इन्द्राज के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 का इन्द्राज दर्ज किया जा रहा है जोकि एक लिपिकीय त्रुटि है और जमाबन्दी सम्बत 2056 से 2059 लिखते समय सहवन से प्रार्थी के इन्द्राज को हटा दिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी को उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के साथ हिस्सा 1/4 में वाहिस्सा बरावर इन्द्राज दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 4621/0.42, 4622/0.55, 4623/0.28, 4624/0.26, 4625/0.43,वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग के हिस्सा 1/4 अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर प्रार्थी लक्ष्मन पुत्र रामखिलाडी हिस्सा 1/8 व अप्रार्थी संख्या 2 नानगा पुत्र रामखिलाडी हिस्सा 1/8 के खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत **धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एल.आर/2024/9381 दिनांक 16.10.2024 से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। दिनांक 12.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 नानगा स्वयं उपस्थित। उपस्थित होकर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र,तहसीलदार डीग की रिपोर्ट दिनांक 16.10.2024 जिसके अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2052-55 ग्राम नगला खोह के खाता संख्या 169 से प्रार्थी एवं अप्रार्थी लक्ष्मन नानगा पिस0 रामखिलाडी 1/4 बहि0बरावर दर्ज है। जबकि इसमें अगले रोटेशन वाली जमाबन्दी सम्बत 2056-59 के खाता संख्या 179 में केवल अप्रार्थी नानगा ही दर्ज है। इस जमाबन्दी में प्रार्थी लक्ष्मन पिस0 रामखिलाडी का नाम सहवन से इन्द्राज नहीं हो पाया और तव से लगातार वर्तमान रिकार्ड तक केवल नानगा पिस0 रामखिलाडी दर्ज आ रहा है जो गलत है जबकि खसरा नम्बरान 4621/0.42, 4622/0.55, 4623/0.28, 4624/0.26, 4625/0.43,किता-5 पर प्रार्थी व अप्रार्थी लक्ष्मन व नानगा दोनों के नाम बहि.बरावर दर्ज होने चाहिए थे। जमाबन्दी चौसाला के रोटेशन में हुई गलती को सुधार करते हुए उक्त खसरों में नानगा पिस0 रामखिलाडी हि0 1/4 के स्थान पर नानगा पिस0 रामखिलाडी हि0 1/8 व लक्ष्मन पिस0 रामखिलाडी हि0 1/8 जाति जाटव सा. बरई खातेदार दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रदर्श-6, जमाबन्दी सम्बत 2052-2055 के खाता संख्या 169 के खसरा नम्बर 4621/0.42, 4622/0.55, 4623/0.28, 4624/0.26, 4625/0.43,किता-5 रकबा 1.94 हैक्टे0 में लक्ष्मन,नानगा पिस. रामखिलाडी 1/4 हि0 बरा0 दर्ज है।

प्रदर्श-7, जमाबन्दी सम्बत 2056-2059 के खाता संख्या 169 में खसरा नम्बर 4621, 4622, 4623, 4624, 4625 नानगा पिस0 रामखिलाडी 1/4 हि0 दर्ज किया हुआ है।

प्रदर्श-1, जमाबन्दी सम्बत 2076-2079, प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्बत 2072,2075, प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्बत 2068-2071, प्रदर्श-4, जमाबन्दी सम्बत 2064-2067, प्रदर्श-5, जमाबन्दी सम्बत 2060-2063 में खसरा नम्बर 4621,4622, 4623, 4624, 4625 में नानगा पिस0 रामखिलाडी दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड की बिवेचना से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्बत 2052 से 2055 के वाद रोटेशन जमाबन्दीयों में जो प्रदर्श-1,2,3,4,5,7 है। प्रार्थी का काश्तकार का नाम व हिस्सा गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 4621/0.42, 4622/0.55, 4623/0.28, 4624/0.26, 4625/0.43,वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित के हि0 1/4 अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर प्रार्थी लक्ष्मन पुत्र रामखिलाडी हि0 1/8 व अप्रार्थी संख्या 2 नानगा पुत्र रामखिलाडी हि0 1/8 के खातेदार दर्ज किये जाने जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner